

प्रपत्र-1

परियोजना का नाम : जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, डीडीहाट से जमतरी मोटर मार्ग (10.525 कि०मी०) तक का नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रतिवेदन

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मन्त्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आय और उत्पादन रोजगार अवसरों के अधिक मात्रा में सृजन एवं स्थायी रूप से गरीबी निवारण करने के उद्देश्य से पर्वतीय क्षेत्र में 250 से अधिक आवादी वाले असंयोजित बसावटों ~~रेक्टर भन्वाय, सिरते~~ **सोभियागढ़, जमतरी** (CC, 964300 H 136, Pop 397) को किसी भी बारहमासी सम्पर्क मार्ग से जोड़ने का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। उक्त के क्रम में सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या: 448/पी.3-14/URRDA/14 DATE 22/01/14 उत्तराखण्ड शासन द्वारा उपरोक्त मोटर मार्ग प्रधान मन्त्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है। (शासनादेश की फोटो प्रति संलग्न है)

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बसावट जमतरी की आवादी 397 है जो अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुड़ा है। उन्नत कृषि भूमि होने के कारण क्षेत्र की जनता का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है, परन्तु यातायात की सुविधा न होने से कारस्तकारों को अपनी उब्जा का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है साथ ही यातायात के साधन न होने से सरकार द्वारा घोषित विभिन्न विकास कार्य भी क्षेत्र में सुगमता पूर्वक संचालित नहीं हो पाते हैं। अन्य रोजगार के साधन न होने से बेरोजगार युवाओं का शहरों की ओर पलायन हो रहा है। मोटर मार्ग निर्माण हो जाने से जहां युवाओं के लिए नये रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेंगे, वहीं सरकार की विकास योजनायें भी सुगमता से संचालित हो सकेंगी।

उल्लेखनीय है कि पर्वतीय क्षेत्र में कारस्तकारों की नाप भूमि के अतिरिक्त समस्त प्रकार की भूमि को वन भूमि श्रेणी में ले लिया गया है। इस मार्ग के समरेखण में वन पंचायत भूमि शून्य है०, नाप भूमि 1.751 है०, सिविल सोयम भूमि 7.722 एवं मक डिस्पोजल हेतु सिविल सोयम भूमि 0.3903 है० कुल सिविल सोयम भूमि 8.1123 है० तथा कुल भूमि 9.8633 प्रभावित हो रही है जो न्यूनतम एवं अपरिहार्य है, वन भूमि हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

विस्तृत सर्वेक्षण उपरान्त इस मार्ग के निर्माण हेतु 2 समरेखणों पर विचार किया गया है जिन्हें प्रस्ताव में संलग्न इन्डैक्स मानचित्र में अलग-अलग रंग से दर्शाया गया है।

समरेखण नं० 1 :- के अनुसार इस मोटर मार्ग का समरेखण स्थल जनपद पिथौरागढ़ के निर्माणधीन मोटर मार्ग डीडीहाट से देवी विश्वना मार्ग के कि०मी० 12 से समरेखण प्रारम्भ होता है। उक्त समरेखण में कि०मी० 0.600 तक पूर्व निर्मित सड़क है तथा इससे आगे चलकर नव निर्माण समरेखण प्रारम्भ होता है। इस समरेखण में 07 हेयर पिन बैण्ड क्रमशः 3/40, 4/14, 5/22, 5/33, 9/2, 9/32, 10/14 तथा इस संरेखण में 02 आर०सी०सी० पुल 12, 12 मी० के पड़ते हैं जो कि क्रमशः 4/40, 7/2 है और 01 स्टील गर्डर पुल 90 मी० का पड़ता है जो कि क्रमशः 1/20 का पड़ता है और इस संरेखण में 01 पुलीया 6 मी० की पड़ती है जो कि क्रमशः 7/33 में पड़ता है। इस भूमि के अतिरिक्त इस समरेखण में मोटर मार्ग निर्माण करने में वृक्ष कम प्रभावित होते हैं तकनीकी दृष्टि एवं मानकों के अनुसार सही ग्रेड मिलता है एवं अधिक से अधिक आवादी लाभान्वित होती है। इस समरेखण के अनुसार मोटर मार्ग की लम्बाई भी कम आती है। इस समरेखण के अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने में ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत हैं।

समरेखण नं० 2 :- के अनुसार यह समरेखण के निर्माणधीन मोटर मार्ग डीडीहाट से देवी विश्वना मार्ग के कि०मी० 12 से समरेखण प्रारम्भ होता है। उक्त समरेखण में कि०मी० 0.600 तक पूर्व निर्मित सड़क है तथा इससे आगे चलकर नव निर्माण समरेखण प्रारम्भ होता है। समरेखण की लम्बाई अधिक होने के कारण तथा समरेखण का अधिकतर भाग नाप क्षेत्र से तथा वन क्षेत्र से होकर गुजरती है मोटर मार्ग का कुछ भाग कच्ची भूमि से भी गुजरता है। इस समरेखण में मोटर मार्ग का निर्माण करने में, वृक्ष अधिक प्रभावित होते हैं तकनीकी दृष्टि एवं मानकों के अनुसार सही ग्रेड नहीं मिलता है एवं अधिक से अधिक आवादी लाभान्वित नहीं होती है। इस समरेखण के अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने में ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत नहीं हैं।

उक्त को ध्यान में रखते हुए समरेखण नं० 2 को निरस्त कर समरेखण नं० 1 को अनुमोदित किया जाता है। इन दोनों समरेखणों का भूवैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है एवं उनके द्वारा समरेखण नं० 1 को मार्ग निर्माण हेतु तकनीकी, पर्यावरणीय एवं भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है। (प्रतिलिपि संलग्न है) अतः 10.525 कि०मी० लम्बाई में ग्राम्य विकास विभाग के मानकों के अनुसार 9 मीटर चौड़ाई में आने वाली नाप-भूमि 1.751 है०, एवं सिविल सोयम भूमि 7.722 है० एवं मक डिस्पोजल हेतु सिविल सोयम भूमि 0.3903 है० कुल सिविल सोयम भूमि 8.1123 है० तथा कुल भूमि 9.8633 प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) की हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

अपर सहायक अभियन्ता

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग,
पी०आई०यू०, पी०एम०जी०एस०वाई०
डीडीहाट (पिथौरागढ़)

सहायक अभियन्ता

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग,
पी०आई०यू०, पी०एम०जी०एस०वाई०
डीडीहाट (पिथौरागढ़)

अधिशारी अभियन्ता

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग,
पी०आई०यू०, पी०एम०जी०एस०वाई०
डीडीहाट (पिथौरागढ़)
B M G S Y - Didhat